

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] No. 66] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2018/फाल्गुन 1, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018/PHALGUNA 1, 1939

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-218/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश मामला सं. 1/2011 में, तारीख 28 सितंबर, 2016 को यह आदेश दिया था कि श्री ओ.पी. तुलसयान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी-21/88-बी, कमला कुटीर, लाहौरअबीर, वाराणसी-221001 (सदस्यता सं. 011165) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत आने वाले 'अन्य अवचार' के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री ओ.पी. तुलसयान का नाम 20.02.2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा। पूर्वोक्त अवधि के दौरान, वह माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निवंधनानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./437/17]

993 GI/2018 (1)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2018

(Chartered Accountants)

No. 29-CA/Law/D-218/2018.—The Hon'ble High Court of Allahabad has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949 in Reference Case No. 1/2011, ordered on 28th September, 2016 that the name of Shri O.P. Tulsyan, Chartered Accountant, C-21/88-B, Kamla Kutir, Lahaurabir, Varanasi-221001 (M.No. 011165) be removed from the Register of Members for a period of five years for having been found guilty of professional misconduct falling within the meaning of "Other Misconduct" under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the said Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 and in compliance with the aforesaid Order of the Hon'ble High Court, it is hereby notified that the name of Shri O.P. Tulsyan stands removed from the Register of Members for a period of five years w.e.f. 20.02.2018. During the aforesaid period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Allahabad.

V. SAGAR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./437/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.20 19:34:09 +05'30'